न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 94 / 2015

उनवान

1. केसर सिंह पिता रतन सिंह हिंगड निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थी / प्रार्थी

बनाम

1. दीपकंवर पत्नी नवरत्न मल लोढा महाजन निवासी काछोला तहसील माण्डगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. उप पंजीयक, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 41 / 2015 निर्णय दिनांक 6.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा ,अधिवक्ता अपीलार्थी
3. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 4.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धामनिया पटवार हल्का धामनिया में कुल किता 4 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि संतोक बाई बेवा मोहन लाल महाजन निवासी माण्डलगढ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। दिनांक 20.3.2015 को संतोक बाई का देहान्त हो चुका है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी केसर सिंह के कब्जेकाश्त व भुगतभोग में चली आ रही है। उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि संवत 2055 में मोहन लाल पिता धूलचन्द महाजन के नाम पर दर्ज थी। विरासत से उक्त भूमि दीपकंवर पुत्री मोहन लाल व संतोक बाई बेवा मोहन लाल के नाम दर्ज की गई। दिनांक 26.8.2002 को आपसी रजाबंदी सहमति से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 31, 36, 37, 50/1 कुल किता 4 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि संतोक बाई के नाम दर्ज कराई गई एवं बंटवाडे से आराजी नम्बर 32, 33, 34, 35, 51, 217/55, 247/50, 248/51, 50/2 किता 9 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा विपक्षीया दीपकंवर के नाम दर्ज कर दी गई। जहो दीपकंवर के कब्जेकाश्त में है। संतोकबाई व मोहन लाल हिंगड के कोई जायन्दा पुत्र व संतान नहीं थी। जिस पर दिनांक 11.6.2000 को वादी केसर सिंह को संतोकबाई ने दत्तक पुत्र लिया व जाति समाज व हिन्दु विधि एवं रिति रिवाज के अनुसार वादी के लहरिया बंधवाया एवं मृतक संतोक बाई ने प्रार्थी को गोद लिया एवं अपनी चल अचल सम्पति का एक वसीयतनामा दिनांक 7.8.2000 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। वादग्रस्त आराजी नम्बर 31'36–37–50/1 किता 4 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त में चली आ रही है । दिनांक 20.3.2015 को संतोक बाई का देहान्त हो चुका है जिसका अंतिम संस्कार व क्रिया कर्म इत्यादि समस्त कार्य प्रार्थी द्वारा सम्पन्न कराये गये हैं एवं मृतक संतोक बाई ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत प्रार्थी के नाम पर निष्पादित की है । प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 5.5.2015 को विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई संभव नहीं है। वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 दीपकंवर का किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा नहीं है। दीप कंवर ने सन् 2000 में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर लिया । विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को अपने नाम पर नामान्तरकरण खुलवा कर भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, विक्रय करने पर आमादा है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद हेतुक दिनांक 20.3.2015 व 5.5.2015 से उत्पन्न होकर सतत जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम धामनिया स्थित आराजी नम्बर 31, 36, 37, 50/1 कुल किता 4 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 रहन , विक्रय, खुर्द बुर्द न करें, कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी न करें, रोक टोक न करें , जबरन बेदखल न करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय, बय बक्षीस नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल नहीं करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी संतोक बाई पत्नि मोहन लाल महाजन का गोदपुत्र है। मोहन लाल जी की मृत्यु होने के पश्चात उनके सामाजिक कार्यक्रम के समय संतोक बाई ने अपीलार्थी केसर सिंह को गोद रखा और गोद की रस्म करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुए गोद में बिठाकर गोद पुत्र घोषित किया । संतोक बाई द्वरा गोद पुत्र के रूप में अपीलार्थी को स्वीकार करते हुए सामाजिक रिति–रिवाज अनुसार मोहन लाल जी की पगडी अपीलार्थी को बंधवाई गई तब से अपीलार्थी संतोकबाई की सेवा सुश्रुषा करता आ रहा है । उसी दिन संतोक बाई ने एक वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में टाईप करा गवाहों कि समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित किया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि संतोक बाई जब तक जीवित रही थी तब तक अपीलार्थी ही संतोक बाई की सेवा सुश्रुषा करता रहा और संतोक बाई की मृत्यु के उपरान्त संतोक बाई का अंतिम क्रियाकर्म और 12 दिन बाद सामाजिक कार्यक्रम भी अपीलार्थी ने ही किये है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी का हक हिस्सा निहित था इसलिए संतोक बाई प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में अपीलार्थी के हिस्से की वसीयत करने की हकदार भी नहीं थी।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने वसीयत दिनांक 7.8.2000 के आधार पर नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात बाबत घोषणाा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें प्रकरण दर्ज कर सम्मन तामिल हेतु भिजवाये गये एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए तारीख पेशी दिनांक 28.7.2015 नियत की गई। लोक अदालत होने से पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 29.6.2015 को रखा और उक्त प्रकरण में राजीनामा नहीं होने से पत्रावली को पुनः न्यायालय में रखे जाने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनिांक 6.7.2015 को बहस सुनकर पत्रावली का समुचित अवलोकन किये बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथ्य के विपरीत अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संतोक बाई का गोद पुत्र होकर विधिक वारिस है। इसलिए संतोक बाई की सम्पूर्ण आराजियात में हक हिस्सा व अधिकार निहित है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने नाम पर नामान्तरकरण करवा लेगी एवं किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर देगी तो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होंगी एवं अनेकाने वाद विवाद बढ जायेंगे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं ता फैसला मूल वाद प्रत्यर्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का निवेदन है कि अपीलार्थी का जब यह कथन कि उसे गोद पुत्र के रूप में संतोक बाई ने स्वीकार किया था तो फिर संतोक बाई को अपने पुत्र के पक्ष में वसीयत का निष्पादन क्यों किया था। अपीलार्थी ने अपने आपको संतोक बाई का गोद पुत्र होने का कथन किया परन्तु रजिस्टर्ड गोद नामा नहीं होने से गोद नामे को सिविल कोर्ट से तय कराते ।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 18.3.2015 को रजिस्टर्ड वसीयत नामा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर संतोक बाई ने निष्पादित कराया है। जो कि अंतिम वसीयतनामा है । अंतिम वसीयतनामा ही प्रभावी होता है। धारा 15 हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत गोद पुत्र रख लिये जाने से गोद लेने वाले

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

माता–पिता द्वारा उनकी सम्पति को हस्तान्तरित करने पर रोका नहीं जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि उसे संतोक बाई ने गोद रखा था। गोद नामे की रस्म सामाजिक रिति–रिवाज अनुसार सम्पन्न की गई थी। ऐसी स्थिति में उसके गोद माता–पिता की भूमि में उसके हिस्से तक की भूमि को वसीयत नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गोद लिये जाने के फोटो, गोद रखे जाने संबंधी पत्रिका, शोक पत्रिका, एवं शोक संदेश की फोटो प्रतियों के अवलोकन से इस बात से पूर्णतया इंकार नहीं कया जा सकता है कि अपीलार्थी को संतोक बाई बेवा मोहन लाल ने गोद लिया था। दूसरी तरफ प्रत्यर्थी संख्या 1 दीप कंवर के पक्ष में संतोक बाई द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। चूंकि मूल वाद अभी विचाराधीन है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज के विचारण के उपरान्त पक्षकारों के हक हितों का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजियात को हस्तान्तरण, बय, बक्षीस नहीं करनें बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो निश्चत ही वाद बहुलता बढेगी। अतः न्यायहित में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.7.2015 को निरस्त किया जाता है एवं ताफैसला मूल वाद ग्राम धामणिया स्थित आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

31, 36, 37, 50/1 कुल किता 4 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा